

Date

Signature of the account holder/s

Place

(Name and address)

For the use of Accounts Office

The account no..... which was opened on with Rs..... (Rupees.....) under..... (Name of scheme) and matured on, has been extended for a period of _____ years with effect from tounder rule.....of the.....scheme.

Necessary entries have been made in the records and pass book/deposit receipt/ statement of account.

Date

Signature of Postmaster/Manager

Seal

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 917(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकार बचत संवर्धन अधिनियम 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित योजना बनाती है अर्थात:-

1 सक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस योजना का सक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) योजना, 2019 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होनी।

2 **परिभाषा** (1) इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) “खाता” से इस योजना के अधीन खोला गया कोई खाता अभिप्रेत है

(ख) “खाता धारक” वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके नाम से खाता धारित है

(ग) “अधिनियम” से सरकार बचत संवर्धन अधिनियम 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है

(घ) “प्ररूप” से इस योजना से सलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।

(ङ) “साधारण नियम” से सरकार बचत संवर्धन साधारण नियम 2018 अभिप्रेत है।

(च) “वर्ष” से खाते में पहले निक्षेप की तारीख से आरम्भ होने वाली 12 मास की अवधि अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम और साधारण नियमों में हैं।

3 **खाते का खोला जाना-** (1) खाता, खाता कार्यालय में प्ररूप- 1 में आवेदन पर :-

(i) किसी एकल व्यस्क द्वारा;

(ii) तीन तक संयुक्त व्यस्क द्वारा;

(iii) कोई अवयस्क जिसने दस वर्ष की आयु पूरी कर ली है ;

(iv) किसी अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति की और से संरक्षक द्वारा खाता खोला जा सकेगा;

(2) कोई व्यक्ति इस के अधीन अधिकतम सीमा के अध्याधीन अधिकतम निक्षेप सीमा जो पैरा 4 के उप पैरा (2) में यथा विहित की गई हैं एकल खाता या संयुक्त खाते एक या एक से अधिक खोल और परिचालित कर सकेगा।

उप पैरा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकतम निक्षेपों के प्रयोजन के लिए खाताधारक संयुक्त खाते के शेष में आधा या एक तिहाई ऐसे शेष का अंश ले सकेगा मानो खाता दो व्यक्तियों या तीन व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है।

4. निक्षेप और प्रत्याहरण- (1) खाता एक हजार रुपये के या एक हजार रुपये के गुणित में किसी रकम के कम से कम निक्षेप से खोला जाएगा और यह किसी खाते में केवल एक निक्षेप होगा।

(2) पैरा 3 के खण्ड (iii) और (iv) के अधीन खोले गए खाते में अधिकतम चार लाख पचास हजार रुपये एकल खाते में और नौ लाख रुपये संयुक्त खाते में निक्षेप किए जा सकेंगे।

(3) सभी खाते में निक्षेपों को किसी व्यक्ति के लिए एक साथ हिसाब में लिया जाएगा जो एकल खाते में चार लाख पचास हजार रुपये और संयुक्त खाते में नौ लाख रुपये से अधिक नहीं होंगे।

5 निक्षेप पर ब्याज- (1) इस योजना के अधीन किए गए निक्षेप पर वार्षिक 7.6 प्रतिशत की दर से ब्याज बहन किया जाएगा।

(2) ब्याज निक्षेप की तारीख से एक माह के पूरा होने पर खाता धारक को संदेय होगा।

(3) यदि ब्याज प्रत्येक माह पर संदेय है तो खाता धारक द्वारा दावा नहीं किया जाएगा ऐसा ब्याज किसी अतिरिक्त ब्याज से अर्जित नहीं किया जाएगा।

(4) ब्याज निकटतम एक रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ पचास पैसे या इससे अधिक की राशि को एक रुपया माना जाएगा तथा पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा।

(5) जहाँ निक्षेप पैरा 4 के उप-पैरा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के लिए आधिक्य में किया गया है वहा तत्काल लेखा अधिकारी खाताधारक को आधिक्य निक्षेप को वापस करेगा।

(6) उप-पैरा पाँच में निर्दिष्ट आधिक्य राशि डाकघर बचत खाते के लिए समय-समय पर लागू दर से ब्याज बहन करेगा और ऐसी राशि पर ऐसे निक्षेपक को संदेय होगा।

(7) उप-पैरा 6 में विनिर्दिष्ट ब्याज आधिक्य राशि के निक्षेप की तारीख से मास के अंत तक पूर्ववर्ती मास जिसमें निक्षेप वापस किया गया है।

(8) यदि मासिक ब्याज की संदेय की तारीख पर रविवार या कोई छुट्टी है संदेय तत्काल पूर्ववर्ती रविवार या किसी छुट्टी से कारवार दिवस पर देय माना जाएगा।

(9) यदि निक्षेप मास की 29, 30 और 31 तारीख पर किया गया है और यदि ये तारीख निम्नलिखित माह में नहीं आती है तो मासिक ब्याज का संदाय निम्नलिखित माह की अंतिम तारीख पर किया जाएगा और यदि ऐसा अंतिम दिवस छुट्टी है तो मासिक ब्याज पूर्ववर्ती दिवस पर अदा किया जाएगा।

6 समयपूर्व खाते को बंद करना- (1) खाता धारक प्ररूप 2 में आवेदन द्वारा ऐसे खाते को खोले जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात किसी भी समय खाते से निक्षेप को प्रत्याहरण और बंद करने के लिए निम्न शर्तों के अध्याधीन अनुज्ञात किया जा सकेगा:-

(i) यदि खाता ऐसे खाते के खोले जाने की तारीख से तीन वर्ष के अवसान पर या पहले बंद किया जाता है तो दो प्रतिशत के बराबर राशि निक्षेप से कम कर दी जाएगी और शेष उसे संदत की जाएगी।

(ii) यदि खाता ऐसे खाते के खोले जाने की तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात बंद किया जाता है तो एक प्रतिशत के बराबर राशि निक्षेप से कम कर दी जाएगी और शेष उसे संदत की जाएगी।

7 खाते को बंद किया जाना- (1) खाते के खोले जाने समय पर किया गया निक्षेप और उस पर उदभूत ब्याज प्ररूप 3 में आवेदन पर लेखा अधिकारी द्वारा खाता खोले जाने की तारीख से पाँच वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात खाता धारक को संदत किया जायेगा।

(2) खाते की परिपक्वता से पहले खाताधारक की मृत्यु की दशा में खाता बंद किया जा सकेगा और निक्षेप पूर्ववर्ती मास जिसमें प्रतिदाय किया गया है मास तक ब्याज सहित साधारण नियमों के उपबंधों के अनुसार वापस किया जाएगा।

8 साधारण नियमों का लागू होना- साधारण नियम के उपबंध उन मामलों के संबंध में भी लागू होंगे जिनके लिए इस योजना में कोई उपबंध नहीं किए गए हैं।

9 छूट देने की शक्ति- जहाँ केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होती है कि इन नियमों के किसी प्रावधान के प्रचालन से खाताधारक को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे खाताधारक के संबंध में जो इन नियमों के अन्य

उपबंधो के लिए अप्रासंगिक न हो उस तरीके से आदेश द्वारा इसके कारणों को लिखित रूप में अभिविदित रखते हुए अधिनियम के उपबंध या उपबंधो की आवश्यकता में छूट दे सकती है।

[फा. सं. 2/2/2018-एनएस(भाग-I)]

रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

प्ररूप 1

[पैरा 3 का उपपैरा 1 देखिए]

(लने के लिए आवेदनखाता खो)

सेवा में,

पोस्टमास्टर/प्रबंधक

आवेदक/आवेदकों का
फोटो चिपकाएं

श्रीमान,

मैं/हम ------(खाता धारक(कों)/संरक्षक) आपके डाक घर /बैंक में राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता योजना) के अधीन खाता खोलने के लिए आवेदन करता हूं/ हैं ।

मैं/हम,-----रुपए/- ------(-----शब्दों में रुपए) नकद/चैक/डिमांड ड्राफ्ट संख्यांक-----तारीख-----आरंभिक जमा के रूप में निविदा करता हूं / हैं । मेरी /हमारी विशिष्टियां निम्न प्रकार हैं:-

1. प्रथम जमाकर्ता का नाम-----

पति/पिता/माता या न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक का नाम-----

जन्म की तारीख------(दिदि/मम/वववव)

शब्दों में.....

2. दूसरे जमाकर्ता का नाम-----

पति/पिता/माता का नाम-----

जन्म की तारीख------(दिदि/मम/वववव)

शब्दों में.....

3. तीसरे जमाकर्ता का नाम-----

पति/पिता/माता का नाम-----

जन्म की तारीख------(दिदि/मम/वववव)

शब्दों में.....

4. अवयस्क/विकृतचित्त व्यक्ति खाताधारक का नाम

पिता/माता/संरक्षक का नाम

जन्म की तारीख------(दिदि/मम/वववव)

शब्दों में.....

मैं, स्कीम पर लागू उपबंधों और स्कीम को लागू सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018, और उसके अधीन समय-समय पर जारी संशोधनों, को पालन करने का वचन देता हूँ।

15 मैं देश में किसी डाकघर/बैंक में राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता के अधीन आजतक विद्यमान अपने ब्योरे की घोषणा करता हूँ।

क्रम. सं.	योजना का नाम	खाता खोलने की तारीख	निक्षेप की गई राशि	उपभोक्ता पहचान संख्या	खाता संख्या	डाकघरबैंक / का नाम
1.	राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता					

खाताधारक (कों) /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप
तारीख -----

नामनिर्देशन

16. मैं/हम नीचे उल्लिखित व्यक्ति(यों) का नाम निर्देशन करता हूँ जिनको मेरी मृत्यु की दशा में अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करके राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम 1/2/3/5 वर्ष में मेरी जमा रकम को मेरी मृत्यु के समय संदत्त की जाएगी:

क्र.सं.	नाम निर्देशिती(यों) का नाम (के नाम) और संबंध	पूरा पता(पते)	नाम निर्देशिती का आधार संख्यांक नाम (वैकल्पिक)	अवयस्क के मामले में नाम निर्देशिती के जन्म की तारीख	हकदारी का अंश	हकदारी की प्रकृति, न्यासी या स्वामी
1						
2						
3						
4						

चूंकि क्रम संख्या (कों)----- विनिर्दिष्ट नाम निर्देशिती (यां) अवयस्क है/हैं, मैं श्री/श्रीमती/कुमारी-----
-----पुत्र/पुत्री/पत्नी-----निवासी-----को नाम निर्देशिती/नाम निर्देशितियों की अवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु की दशा में उक्त खाते के अधीन देय राशि को प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूँ।

1. साक्षी के हस्ताक्षर-----

नाम और पता-----

2. साक्षी का नाम-----

नाम और पता-----

खाताधारक (कों) /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

स्थान-----

तारीख-----

पोस्टऑफिस/बैंक के प्रयोग हेतु

यह खाता -----के नाम में तारीख -----को रु. -----के आरंभिक जमा के साथ -----
-----स्कीम के अधीन (स्कीम का नाम) खाता संख्यांक-----तारीख-----द्वारा
खोला गया है।

ग्राहक पहचान संख्यांक-----

नाम निर्देशन संख्यांक -----तारीख-----द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

प्ररूप 2

[पैरा 6 देखिए]

(परिपक्वतापूर्व खाता बंद करने के लिए आवेदन)

सेवा में,

श्रीमान, पोस्टमास्टर/प्रबंधक

श्रीमान,

1. मैं अपने खाता संख्यांक-----जिसमें -----रुपए (रुपए-----केवल) को परिपक्वता पूर्व बंद करने की वांछा करता हूं। आपसे नीचे दिए गए व्यौरों के अनुसार लागू शास्ति की कटौती के पश्चात् रकम के संदेय का अनुरोध करता हूं।

कृपया मेरे बचत खाता संख्यांक-----स्थित -----(खाता कार्यालय का नाम) को रकम का प्रत्यय करें।

या

कृपया डिमांड ड्राफ्ट/पाने वाले के नाम चैक जारी करें

या

कृपया नकद संदाय करें (लागू, यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से निम्न हो)

3. मैं घोषणा करता हूं कि जिसके अधीन परिपक्वता से पूर्ण खाता बंद किया जा सकता है के उपबंधों की अनुपालना की गई है।

आवश्यक दस्तावेज, जहां लागू है, नीचे संलग्नित है :-

1.

2.

*प्रमाणित किया जाता है कि उपयोग के लिए प्रत्याहृत/ ऋण की रकम -----जो जीवित है और अवयस्क है के प्रयोग के लिए अपेक्षित है।

तारीख:.....

जमाकर्ता /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

.....

(लेखा कार्यालय को जानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जमाकर्ता के अंगूठा छाप प्रमाणित किए जाने चाहिए)

केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु

संदाय के ब्यौरे

खाते में पात्र अतिशेष

काटी गई शास्ति की रकम.....रुपए

संदत्त की जाने वाली कुल रकम.....(अंकों में)

(शब्दों में).....

तारीख मुद्रा..... पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर

निस्तारण

(खाताधारक/संदेशवाहक द्वारा भरा जाए)

रुपए------(अंको में) -----(शब्दों में) नकद /चैक/डीडी संख्यांक -----तारीख-
-----/खाता संख्यांक -----को अंतरण, द्वारा, प्राप्त किए।

स्थान:

तारीख:

जमाकर्ता/संरक्षक के हस्ताक्षर/अंगूठा छाप

प्ररूप 3**[पैरा 7 का उप-पैरा 1 देखिए]****(खाते के बंद करने के लिए आवेदन)**

पोस्टऑफिस/बैंक का नाम-----

तारीख

खाता संख्यांक

1. मैं/हम पासबुक /जमा रसीद प्रस्तुत करता हूं और अपने/हमारे तारीख -----को परिपक्व उपरोक्त उल्लिखित खाता को बंद करने के लिए आवेदन करता हूं।

2. कृपया मेरे परिपक्व खाते में अतिशेष रकम का प्रत्यय मेरे बचत बैंक खाता संख्यांक-----स्थित -----
------(खाता कार्यालय का नाम) करें।

या

कृपया डिमांड ड्राफ्ट/पाने वाले नाम चैक जारी करें

या

कृपया नकद संदाय करें (अनुज्ञेय सीमा से नीचे रकम होने के मामले में लागू)

*प्रमाणित किया जाता है कि खाते में धृत रकम -----जो जीवित है और अवयस्क है के प्रयोग के लिए अपेक्षित है।

खाताधारक (कों) /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

(लेखा कार्यालय को ज्ञात व्यक्ति द्वारा अंगूठा छाप प्रमाणित की जानी चाहिए)

संदाय आदेश

(केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु)

तारीख-----

संदाय ब्यौरा

मूल रकम रुपए-----

(+) देय ब्याज रुपए-----

(-) अधिक संदत्त ब्याज की वसूली रुपए-----

कटौती, यदि कोई हो, रुपए-----

कुल देय रकम रुपए-----

रुपए -----(अंकों में) -----(शब्दों में) का संदाय करें।

स्थान-----

तारीख-----

पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर

भुगतान

(जमाकर्ता द्वारा भरा जाए)

रुपए----- (अंकों में) ----- (शब्दों में) नकद /चैक/डीडी संख्यांक -----तारीख-----
-----/खाता संख्यांक -----को अंतरण द्वारा, प्राप्त किए।

स्थान:

तारीख:

खाताधारक(कों)/संरक्षक(कों) के हस्ताक्षर

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

G.S.R. 917(E).— In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-**1. Short title and commencement.**-(1) This Scheme may be called the National Savings (Monthly Income Account) Scheme, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-

(a) “account” means an account opened under this Scheme;

(b) “account holder” means an individual in whose name the account is held;

(c) “Act” means The Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);

(d) “Form” means forms appended to this Scheme;

(e) “General Rules” means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;

(f) “year” means a period of twelve months commencing from the date of deposit in the account.

(2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and in the General Rules.